FOR... III
फ...
(...)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अरांई मुकाम अराई (अजमेर)

- रामधन पुत्र सूरजकरण जाति जाट, उम्र लगभग 60 साल निवासी ग्राम झीरोता तहसील अरांई जिला अजमेर राज. ।

–प्रार्थी

बनाम

- गणेश पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी झीरोता तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य।

–अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1956

दर्ज क्रमांक 80 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 89

वकील प्रार्थी :– योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण..................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व़ तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/7/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया! प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 20/9/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
20/9/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थीगणों के सम्मन अप्राप्त वास्ते तामील इन्तजाम पत्रावली 18/10/2024 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)	
18/10/24	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान उप. / तलबी ....हेतु सम्मन जारी/वास्ते तलबी पत्रावली दिनांक 29/11/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी अरांई	
29/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप.। .... । पत्रावली ...तलबी... तलबी .... वास्ते........ दिनांक 20/12/24 .... [signature]	

20/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर गये। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार .... दिनांक 7/5/25 को पेश हो।
7/5/25	पत्रावली पेश हुई आज ...... बार हिमायत ...... की ओर से ... रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/5/25 को पेश हो।
28/5/25	पत्रावली पेश हुई ... पक्षकारान उप. । [illegible] पत्रावली ... प्राप्त । [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली दिनांक 2/5/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी अराई
2/5/25	पत्रावली पेश हुई आज ...... बार ... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/25 को पेश हो।
20/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 18/7/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई
18/7/2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण (आर.ए.एस.)

:: राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 80/2024 उनवान रामधन बनाम गणेश ::

रामधन पुत्र सूरजकरण जाति जाट, उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. गणेश पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
2. छगनलाल पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
3. भारमल पुत्र सूरजकरण जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला, अजमेर, राजस्थान
4. मोलूराम पुत्र सूरजकरण जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
5. मदन पुत्र सूरजकरण जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
6. राजेन्द्र पुत्र पुखराज जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
7. शंकर लाल पुत्र पुखराज जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
8. सुवा पत्नि स्व. पुखराज जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
9. हरकरण पुत्र भूरा जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
10. मनता पत्नि स्व. श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
11. नाबालिग विष्णु पुत्री स्व. श्री गोपाल, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मनता पत्नि स्व. श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
12. नाबालिग रिंकू पुत्री स्व. श्री गोपाल, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मनता पत्नि स्व. श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
13. नाबालिग अनकार पुत्री स्व. श्री गोपाल, जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मनता पत्नि स्व. श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
14. नाबालिग अर्जुन पुत्र स्व. श्री गोपाल जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मनता पत्नि स्व. श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
15. नाबालिग कर्ण पुत्र स्व. श्री गोपाल जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मनता पत्नि स्व. श्री गोपाल, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
16. काना पुत्र सुण्डा जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
17. नारायण पुत्र सुण्डा, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
18. बन्ना पुत्र सुण्डा, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
19. राधामोहन पुत्र सुण्डा, जाति जाट, निवासी ग्राम झीरोता, तहसील अरांई, जिला अजमेर, राजस्थान
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

---अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 17/7/2025

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जो बाद जांच रिपोर्ट दिनांक 18.7.2024 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 80/2024 पर दर्ज किया गया । प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या नया 296 पुराना 268 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.4530 हैक्टैयर है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी की एकल खातेदारी कृषि आराजी है जिस पर राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी खातेदार एवं काबिज काश्तकार है । अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8. ग्राम झीरोता स्थित खसरा संख्या 35 क्षेत्रफल 1.3753 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 35 प्रार्थी की भूमि

खसरा संख्या 36 के दक्षिण दिशा में स्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 3, 4 व 6 लगायत 15 ग्राम झीरोता स्थित खसरा संख्या 37 क्षेत्रफल 1.1811 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार, काबिज काश्तकार है, उक्त भूमि खसरा संख्या 37 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 36 के उत्तर दिशा में स्थित है। उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 37 में सहखातेदार गोपाल पुत्र हरकरण है जिनके देहावसान पश्चात उक्त भूमि पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण संख्या 9 लगायत 15 उनके विधिक वारिसान् होने से पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये है। तथा अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 19 ग्राम झीरोता स्थित खसरा सं 34 क्षेत्रफल 1.4158 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार,काबिज काश्तकार है उक्त भूमि खसरा संख्या 34 प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 36 के पश्चिम दिशा में स्थित है । अप्रार्थी संख्या 20 ग्राम झिरोता स्थित खसरा संख्या 85 क्षेत्रफल 1.4562 हैक्टेयर भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, जो गै0मु0रास्ता होकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है । उक्त भूमि प्रार्थी की भूमि के पूर्व दिशा में स्थित है ।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 के मध्य उपरोक्त भूमि का सीमा विवाद चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप करते रहते है, जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 के मध्य लडाई झगडा होता रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उसकी सीमाओं के संबंध में विवाद पैदा करते है। उपरोक्त खसरान् के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 19 द्वारा आये दिन प्रार्थी के साथ उसके खातेदारी भूमि के कृषि भूमि परं विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 20 के कार्यालय में सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी महोदय, झीरोता द्वारा दिनांक 27/05/24 को को सीमाज्ञान कर मौका पर्चा बनाया गया। जिसके पश्चात् भी उक्त अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर दिनांक 20.06.2024 को विवाद किया गया।वाद कारण दिनांक 20.06.2024 को अप्रार्थीगण द्वारा सीमाओं के विवाद को लेकर प्रार्थी के साथ गाली गलौच करने से उत्पन्न हुआ है तथा प्रार्थी के कृषि कार्य में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा कारित करने तथा प्रार्थी के साथ सीमाओं को लेकर वाद विवाद करते रहने से प्रार्थी काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थी अपने व अपने परिवार का लालन पालन उपरोक्त आराजी से करतें हैं जिसमें से अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से मेड सींव का विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण की श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की वाके ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या नया 296 पुराना 268 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.4530 हैक्टेयर की सीमाओं का मोतिक सत्यापन करवाकर पत्थरगढी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

दिनाकं 28.3.2025 को पत्रावली बाद तलबी पेश हुई। तामिलशुदा नोटिस प्राप्त होने के बावजूद प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 19 की और से कोई उपस्थित नही हुये अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 20.6.2025 को पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व आधिपत्य की जमीन ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या नया 296 पुराना 268 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.4530 हैक्टैयर है। उक्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम ही दर्ज है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की कब्जा काश्त है। यह है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 02 में वर्णित खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 36 के चारो दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहें हैं किन्तु अप्रार्थीगण आये दिन सींव मेड सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 19 एवं परिवारजन द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की सींव उखाडने पर आमादा हो जाते हैं जिससे प्रार्थीया काफी परेशान है। जिससे की प्रार्थी की उपरोक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाना अतिआवश्यक है इसीलिये यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सदभावनापूर्वक पेश किया जा रहा है। प्रार्थीकी श्रीमान न्यायाधीश से यह प्रार्थना है कि प्रार्थी की खातेदारी की ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या नया 296 पुराना 268 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.4530 हैक्टैयर भूमि का जमाबन्दी व राजस्व ट्रेस के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करने के प्रार्थीगण के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करवावें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई अतः उपरोक्त विवेचन व संलग्न दस्तावेजानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम झीरोता, पटवार हल्का झीरोता, भू.अ.नि.क्षेत्र ढसूक तहसील अरांई, जिला अजमेर राजस्थान जिसके खाता संख्या नया 296 पुराना 268 के खसरा संख्या 36 रकबा 0.4530 हैक्टैयर भूमि का राजस्व रिकार्ड अनुसार मौके पर नाप चौक कर पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार अरांई को कमिश्नर फीस 1000/—रु अक्षरे एक हजार रुपये मात्र, पर कमिश्नर नियुक्त

किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर फीस 1000/– रु जमा करवाने पर वे स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर तथा पर्याप्त पुलिस जाप्ता व संसाधन लेकर उक्त वाद ग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नाप चौक कर पत्थरगढी करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(निशा सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)